



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 भाद्र 1947 (श0)

(सं0 पटना 1510) पटना, मंगलवार, 16 सितम्बर 2025

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
13 मार्च 2025

सं० 09/सी0बी0आई0-80-07/2023-3217/गृ0आ0-दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम-1946 (1946 का अधिनियम-25) की धारा-6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मांझागढ़ शाखा, जिला-गोपालगंज में वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित मांझागढ़ थाना कांड संख्या-222/2022, दिनांक-13.07.2022, धारा-420/467/468/471/409/34, भा0द0वि0 के अनुसंधान/पर्यवेक्षण एवं अन्य अपेक्षित कार्रवाई के निमित्त दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को सम्पूर्ण बिहार राज्य में शक्तियों एवं अधिकारिता के प्रयोग के लिए सहमति प्रदान करने की कृपा की है।

राज्यपाल, बिहार के आदेश से,
प्रणव कुमार,
सरकार के सचिव।

The 13th March 2025

No. 9/C.B.I-80-07/2023-3217/ HP—In exercise of the powers conferred under section-6 of the Delhi Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946), the Governor of Bihar is pleased to accord his consent to exercise of powers and jurisdiction to the whole of Bihar to the members of Delhi Special Police Establishment to investigate/supervise and inquire into the Manjhagarh P.S. Case No-222/2022, Dated-13-07-2022, Section-420/467/468/471/409/34 I.P.C. which relates to Financial fraud in Uttar Bihar Gramin Bank, Manjhagarh Branch, District-Gopalganj.

By order of the Governor of Bihar,
Pranav Kumar,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1510-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>